हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

संख्या वि०स0—विधायन—विधेयक / 1-62 / 2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / – सचिव, हि० प्र० विधान सभा ।

2023 का विधेयक संख्यांक 23

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम ।
- 2. अनुसूची 1-क का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्यांक 23

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :——

- 1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
- 2. अनुसूची 1—क का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची 1—क में,——
 - (क) अनुच्छेद 23(क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"23(ख) भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 और 234 के अधीन अधिकरण /न्यायालय के आदेश से या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क के अधीन कंपनियों के समामेलन/ विलयन/निर्विलयन की प्रकृति में हस्तांतरण या अन्यथा। स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्य का आठ प्रतिशत या प्रतिफल रकम या न्यायालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या अन्यथा द्वारा नियत रकम, जो भी अधिक हो।''।

(ख) अनुच्छेद 35 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ग) खनन पट्टा विलेख पर स्टांप शुल्क की गणना 6 प्रतिशत करने का सूत्र:— मूल्य या

6 प्रतिशत x पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य या वार्षिक रॉयल्टी रकम या पट्टादाता और पट्टेदार के मध्य सहमत पट्टा रकम, जो भी अधिक हो x (पट्टे की अवधि) / 100

टिप्पण.—''खनन पट्टा''; से खनन संचालन के प्रयोजन से दिया गया पट्टा अभिप्रेत है, और इसमें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में यथा परिभाषित ऐसे प्रयोजन के लिए दिया गया उप—पट्टा भी सम्मिलित है।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः कम्पनियों द्वारा संपत्ति के विलयन, समामेलन, निर्विलयन और विघटन पर स्टाम्प शुल्क उदगृहीत करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसके कारण मुकद्दमेंबाजी में बहुत वृद्धि हुई है। इस समस्या का हल करने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची—1क में इस बाबत कोई उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टे पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है, इसलिए इस प्रभाव का उपबंध किया जा रहा है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी), प्रभारी मन्त्री।

r	
धर्मशाला	•
911811611	•

तारीख...... 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन —शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या राजस्व स्टाम्प (एफ)1-1/2005-V)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पर:स्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of Schedule 1-A.

Bill No. 23 of 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH SECOND AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

- Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Second Amendment) Act, 2023.
- **Amendment of Schedule 1-A.**—In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, in Schedule 1-A,
 - after Article 23(A), the following shall be inserted, namely:—

amalgamation/ merger/demerger of Companies under section 232 and 234 of the Indian Companies Act, 2013 by the order of the tribunal/Court or under section 44 A the Banking Regulation Act, 1949 or otherwise.

23(B) Conveyance in the nature of 8% of the market value of the immovable property the consideration amount or the amount fixed by the Court, National Company Law Tribunal or otherwise, whichever is higher.".

(b) in Article 35, after clause (b), the following shall be inserted, namely:—

"(c) Formula for calculating the stamp duty	6% x Market value of the leased or Annual Royalty	
on mining lease deed	Amount or agreed lease amount in between the lessor	
	and lessee, whichever is higher x (period of	
	lease)/100	

Note.—"Mining Lease" means a lease granted for the purpose of undertaking mining operations; and includes a sub-lease granted for such purpose as defined in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no provision for levying the Stamp Duty on the transfer of property by Companies on merger, amalgamation, demerger, dissolution. Due to this reason, multiple litigations have come up. In order to solve this problem, it is necessary to make a provision in this regard in Schedule-1A of the Indian Stamp Act. Further there is no provision for levying stamp duty on Mining Lease, therefore, provisions to this effect are being made.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

		(JAGAT SINGH NEGI)
		Minister-in-Charge
DHARAMSHALA :		
ТНЕ, 2023		
	FINANCIAL MEMORANDUM	
	—NIL—	

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
—NIL—

(File No. Rev. Stamp (F) 1-1/2005-V)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Second Amendment) Bill, 2023, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.